न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

वाद संख्या :– 88/2018

1– मांगीलाल पिता हरला जाति भील के बजाय :–
1/1–कल्लु भील पिता स्व. मांगीलाल भील निवासी बडी का खेडा तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1. गोपी पिता हीरा जाति भील निवासी बडी का खेडा तह0 बेगूँ
2. श्यामलाल पिता शंकरलाल जाति भील निवासी ओछडी तह0 चितौडगढ
3. जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ प्रतिनिधि राजस्थान सरकार
4. तहसीलदार साहब बेगूँ भूमिधारी तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री इफ्तेखार अजमेरी
अधिवक्ता वादी
श्री पारस कुनावत
अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :– 30.04.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि मौजा बडी का खेडा तह0 बेगूँ जिला चितौडगढ का स्थायी निवासी होकर सद्भावी काश्तकार है व वादी स्वर्गीय हरलला पिता देवा भील का विधिक वारिस है। वादी के पिता हरलाल के नाम पर संयुक्त खाते में कृषि काश्त हेतु मौजा बडी का खेडा पटवार हल्का सामरिया कलां की जमाबंदी सम्वत 2070–73 की खतौनी संख्या 57 में निम्न कृषि आराजीयात दर्ज रिकार्ड है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

खाता संख्या	आराजी नम्बर	रकबा हैक्टर
57	55	0.3320
	56	0.0890
	57	0.3400
	58	0.2590
	59	0.1210
	60	0.1050
	61	0.1620
	63	0.3160
	71	0.3400
	72	0.650
	कीता–11 कुल रकबा	2.1850 हैक्टर

यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित कृषि आराजीयात वादी के पूर्वजो से चली आ रही है जिस पर पूर्व में वादी के पिता हरला व उनकी मृत्यु पश्चात वादी उनका वारिस होकर उक्त आराजीयात पर काश्त करता चला आ रहा है। वाद पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजीयात के दक्षिण दिशा में सेटलमेन्ट के पूर्व बिलानाम साबिक आराजी नम्बर 52 रकबा 29 बीघा 1 बिस्वा मे से 2 बीघा 4 बिस्वपा भूमि पर वादी के पिता हरला पिता देवा भील का पुराना कब्जा होने से नियमन आदेश मिसल संख्या 1065 दिनांक 19.11.1968 से आराजी नम्बर 52 मी रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि नियमन की गयी जिसका नामान्तरण संख्या 27 दिनांक 17.5.1971 से दो बीघा 4 बिस्वा भूमि वादी के पिता हरला पिता देवा भील के नाम नियमन से खातेदारी दर्ज की गयी। जिसका नोट जमाबंदी सम्वत 2025–28 की खाता संख्या 1 में अंकन किया गया जो वादी के पिता हरला पिता देवा के नाम पर दर्ज चली आ रही थी जिस पर वादी के पिता हरला पिता देवा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

र काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे व उनकी मृत्यु के पश्चात वादी साबिक नम्बरान से नवीन आराजी नम्बर 64 रकबा 0.0810 हैक्टर, 65 रकबा 0.1710 हैक्टर , 70 रकबा 0.2830 हैक्टर भू मि बिलानाम सरकार दर्ज रेकार्ड चली आ रही है जिस पर वादी के पिता व उनकी मृत्यु के पश्चात वादी हरला का वारिस होरक काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है जिससे वादी नवीन आराजी नम्बर 64 रकबा 0.0810 हैक्टर, 65 रकबा 0.1710 हैक्टर , 70 रकबा 0.2830 हैक्टर की घोषणात्मक डिकी प्राप्त करने का अधिकारी होने से वादपत्र वादी घोषणात्मक डिकी प्रस्तुत है।

यह कि विवादित आराजी नम्बर 64,65,70 जो कि पूर्व में साबिक आराजी नम्बर 52 था व उक्त आराजीयात पर वादी के पिता हरला पिता देवा काबिज होने से हरला पिता देवा का मिसल संख्या 1065/68 से आराजी नम्बर 52 मे से 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि नियमन की गयी व शेष आराजी रकबा पर वादी का निरन्तर एवं निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है। लेकिन सेटलमेन्ट के दरमियान नवीन आराजी नम्बर 64,65,70 कमशः रकबा 0.0810 हैक्टर, 0.1710 हैक्टर व 0.2830 हैक्टर दर्ज कर बिना किसी आधार के सिवायचक बिलानाम सरकार दर्ज कर दी गयी व उसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 को वर्ष 1978 मे जरीये आवंटन आदेश मि.नं. 780/78 के नरवीन आराजी नम्बर 64,65,70 से आवंटित कर दी गई। जबकि उक्त आराजी सेटलमेन्ट के पूर्व से ही वादी के पिता हरला पिता देवा के नाम नियमन होकर कब्जे काश्त में चली आ रही थी। वक्त आवंटन भी वादी के पिता का ही कब्जा चला आ रहा था। वक्त आवंटन भूमि खाली नही होकर वादी के पिता हरलाल के नाम दर्ज थी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 1 को गलत रूप से बिलानाम सरकार भूमि बताते हुए आवंटित कर दी जो आवंटन आदेश वादी के हक व अधिकारो के मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी होकर प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को उक्त आराजीयात मे से कुछ आराजी तथाकथित बयनामा दिनांक 30.07.2018 से हस्तान्तरित कर दी।

उक्त तथाकथत बयनामा व आवंटन आदेश विादी के हक व अधिकारो के मुकाबले में शून्य एवं निष्प्रभावी होकर वादी प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किये गये आवंटन आदेश को शून्य व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में किये गये तथाकथित बयानामे को शून्य घोषित करा कब्जा मुखालपाने के अनुसार नवीन आराजी नम्बर 64 रकबा 0.0810 हैक्टर, 65 रकबा 0.1710 हैक्टर , 70 रकबा 0.2830 हैक्टर की घोषणा डिकी प्रापत करने के अधिकारी होने से वादपत्र वादी घोषणात्मक डिकी पेश है। इस भूमि पर वादी के पिता एवं इस के पश्चात वादी का 53 वर्षो से निरंतर निर्बाध कब्जा चला आ रहा है।

यह कि नवीन आराजी नम्बर 64,65,70 वादी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात से लगी हुई होकर पत्थर की कोट से एक ही परकोटे में स्थित होकर वादी के पिता हरला पिता देवा को पुराने कब्जे के आधार पर नियमन होकर खातेदारी प्राप्त हुई थी व खातेदारी की आराजीयात में मिली हुई है फिर भी उक्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर बिना कब्जे के आराजी नम्बर 65,70 को प्रविादी संख्या 1 के नाम पर बिना कब्जे आराजी नम्बर 65,70 को प्रतिवादी सं0 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 को तथाकथित बयनामे से विकय कर दी। जबकि बिना कब्जे का बेचान धारा 54 टी.पी.एक्ट के अनुसार भी शुन्य है क्यो कि कब्जा सिपूर्द किये बिना बेचान नहीं हो सकता है। इस बयनामे की आड में प्रतिवादी संख्या 2 राजस्व रेकार्ड में अपना नाम दर्ज करवा उक्त आराजी पर जबरन कब्जा करने पर आमादा है। जिसके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी जारी करवाया जाना आवश्यक होने से वादपत्र वादी स्थायी निषेधाज्ञा पेश है।

यह कि बिना मुखास्मात दाद कारण दिनांक 30.7.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 को तथाकथित विकय पत्र निष्पादित करा पंजीयन करा देने के कारण पैदा होकर निरन्तर जारी है। जिससे वादपत्र वादी बाद जानकारी से अन्दर मियाद पेश है। वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र घोषणात्मक डिकी स्थायी निषेधाज्ञा होकर राज्य सरकार फोरमल पक्षकार मुकद्मा होने से प्रतिवादी संख्या 3 कायम व भूमिधारी होने से प्रतिवादी संख्या 4 कायम कर वाद पत्र पेश है। यह कि विवादित आराजीयात एवं पक्षकारान श्रीमान के क्षैत्राधिकार में अवस्थित होने से वादपत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय आप को प्राप्त होने से वादपत्र वादी श्रीमान के न्यायालय में पेश है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

अतः श्रीमान से निवेदन है कि वादपत्र पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न आशय की डिक्री प्रदान करायी जावें।

(अ) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर वादपत्र की कलम संख्या 4 में वर्णित ग्राम बडी का खेडा की कृषि आराजी नम्बर 64,65,70 रकबा कमशः 0.0810, 0.1710, 0.2830 हैक्टर वादी के खातेदारी की घोषित फरमाया जावें।

(ब) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1,2 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा जारी कर पाबन्द फरमाया जावे कि वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे न ही कृषि आराजीयात का हस्तान्तरण ही करे न ही किसी अन्य से करावे तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद फरमाया जावे कि वह वर्तमान में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखते हुए इसमे कोई परिवर्तन नहीं करावें।

(स) कि हर्जा खर्चा मुकद्मा वादी को प्रतिवादीगण से दिलाये जाने की डिक्री प्रदान करायी जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री पारस कुमावत द्वारा अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार से किया गया कि वादपत्र की चरण संख्या 1 का जवाब है कि जानकारी के अभाव में अस्वीकार है।

चरण संख्या 2 का जवाब है कि गलत होकर अस्वीकार है। उक्त प्रकरण में वादपत्र की चरण संख्या 3 का जवाब है कि जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। यह कि उक्त प्रकरण में वादपत्र की चरण संख्या 4 का जवाब है कि गलत होकर अस्वीकार है। आराजी संख्या 64,65 व 70 पर वादी या इसके पूर्वजो का कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है इसी कारण उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नामपर आवंटित होरक दर्ज रिकार्ड हुई स्पष्टीकरण विशेष कथन में अंकित है।

यह कि उक्त प्ररकण मे वादपत्र की चरण संख्या 5 का जवाब है कि आराजी संख्या 64,65 व 70 कभी भी वादी या उसके पूर्वजो के नाम नहीं रही उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पास लगभग 50–60 वर्षो से होकर प्रतिवादी संख्या 1 ही उक्त भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा था वादी ने गलत तथ्य अंकित किये है प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2को विकय करना स्वीकार है। शेष कथन गलत होकर अस्वीकार है। वादी का उक्त वर्णित आराजी का भी कोई कब्जा नहीं रहा है। उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे की भूमि थी। जिससे प्रतिवादी संख्या 2 को विकय कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 को सिपुर्द कर दिया गया तब से ही प्रतिवादी संख्या 2 उक्त भूमि पर काबिज है। वाद पत्र की चरण संख्या 7 गलत होकर अस्वीकार है। चरण संख्या 8 का जवाब है कि वाद पत्र कम न्यायशुल्क पर पेश किया गया है। स्पष्टीकरण विशेष कथन में अंकित हैं।

वाद पत्र की चरण संख्या 9 का जवाब है कि कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। चरण संख्या 10 का जवाब इस प्रकार है कि वाद पत्र सिविल प्रकृति का होने से माननीय न्यायालय श्रीमान को क्षैत्राधिकार का नहीं है। चरण संख्या 11 का जवाब है कि प्रति नहीं मिलने से अस्वीकार है। तथा चरण संख्या 12 व 13 का जवाब है कि कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है।

वादपत्र के जवाब दावा के विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त भूमि प्रवितादी संख्या 2 को जरिये विकय विलेख के विकय कर दी है इसलिए विकय पत्र को सिविल न्यायालय से शून्य घोषित कराये बिना यह वादपत्र माननीय न्यायालय श्रीमान में चलने योग्य नहीं है। यह कि प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त भूमि आवंटित होरक गेरखातदेारी से खातेदारी प्राप्त हुई अगर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होता तो भूमि आवंटित होती नहीं न ही प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार मिलते। इसलिए कब्जेयाबी की दाद के अभाव में वाद पत्र वादी खारिज होने योग्य है। वादपत्र में यह कही स्पष्ट नहीं किया कि क्यो कर उक्त भूमि बिलानाम हुई जिससे भी स्पष्ट है कि वादी ने गलत वादपत्र पेश किया है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

अतः न्यायालय श्रीमान आपसे प्रार्थना है कि वादग्रस्त वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर डिक्री पक्ष वादी जारी फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की ओर से मुनियादी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि बिन्दु संख्या 1 बाबत स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु संख्या 2 मुताबिक जमाबन्दी भंवरी पिता हरला रतना भोमी हरजी पिता खुमा भील खातेदार दर्ज है तथा बैंक ओफ बड़ौदा के रहन करी है। चरण संख्या 3 स्वाईली है। तथा बिन्दु संख्या 4 व 5 बाबत स्वयं सिद्ध करे तथा बिन्दु संख्या 6 से 13 तक कानूनी होना बताते हुए जवाब दावा दीवानी न्यायालय में पेश किया है।

पत्रावली में जवाब दावा प्रतिवादीगण का प्रस्तुत होने पर निम्न लिखित तनकी पत्र पृथक से तैयार किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया :-

1- आया कि मौजा बडी का खेडा की आराजी संख्या 64,6670 एकमा क्रमशः 0.0810, 0.1710, 0.3630 हैक्टर वादी के खातेदारी की घोषित किये जाने का वादी अधिकारी है एवं साथ प्रतिवादी संख्या 1, 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने की वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेपकारी न करे व न ही किसी अन्य से करावे, साथ ही प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्ध भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वर्तमान राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखते हुए इसमें कोई परिवर्तन नही करावे? ...... वादी

2- आया कि प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त भूमि आवंटित होकर गैरखातेदारी से खातेदारी प्राप्त हुई इसके पश्चात प्रतिवादी संख्या 2 को जरिये विक्रय विलेख के विक्रय कर दी इसलिए विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय से शून्य घोषित कराये बिना एवं वादी का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नही रहा हो ने से यह वाद पत्र चलने योग्य नही है? ...... प्रतिवादी

3- दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के पश्चात वादी की ओर से साक्ष्य वादी हेतु शपथ पत्र वादी मांगीलाल पिता हरला जाति भील का एवं गवाह रतनलाल पिता खुमा भील, गवाह छोगालाल पिता देवा जी गुर्जर, देवीलाल पिता नारायण जी जाति गुर्जर व वादी के वारिस कन्हैया पिता स्व. मांगीलाल भील व गवाह गिरधारी पिता भरथा गुर्जर के प्रस्तुत किये गये। प्रकरण में मुख्य परीक्षण के दौरान वादी कन्हैया पिता स्व.मांगीलाल द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा जिरह प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से निल रही है। इसी प्रकार वादी के गवाह से मुख्य परीक्षण कर उनके बयान कलमबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली में प्रतिवादीगण के अभिवक्ता द्वारा प्रतिवादी की ओर से हिदायत पैरवी न होने का अंकन किया जाने व प्रतिवादी के न्यायलाय में उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये।

पत्रावली में साक्ष्य वादी की पूर्ण होने के पश्चात अभिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। वादी अभिवक्ता द्वारा अपनी बहस को वादपत्र के अनुसार ही निवेदन करते हुए पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज का उल्लेख करते हुए वाद वादी को स्वीकार करने व वर्णित कृषि भूमि को वादी के खातेदारी मे दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन हमारे समक्ष किया है।

बहस अभिवक्ता वादी की एक तरफा सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत सभी प्रदर्श किये हुए दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया, प्रस्तुत दस्तावेज के गुणावगुण पर प्रकाश डालते हुए तथा प्रत्येक दस्तावेज का उल्लेख करते हुए पत्रावली मे कायम की गई तनकी अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है :-

1- तनकी नम्बर 1 का निर्णय :-

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है। तनकी मे वादी का कथन है कि मौजा बडी का खेडा की आराजी संख्या 64,6670 एकमा क्रमशः 0.0810, 0.1710, 0.3630 हैक्टर वादी के खातेदारी की घोषित की जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावें । प्रस्तुत दस्तावेज मे प्रदर्श- 1 नकल नक्शाकिस्तवार ग्राम बडी का खेडा का प्रस्तुत किया है। प्रदर्श- 2 नक्शाट्रेस जो कि ग्राम बडी का खेडा का है जो न0... 27 पर दर्ज किया है उसकी प्रति प्रस्तुत की है। प्रदर्श-3 नकल नक्शाट्रे है। प्रदर्श-4 व प्रदर्श-5 नकल खसरा गिरदावरी

चतुर्वर्षीय ग्राम बडी का खेडा की प्रस्तुत की है जो संवत 2019 से 22 तक एवं संवत 2025 से 29 तक की प्रस्तुत की है। प्रदर्श–6 पत्रावली संख्या 1065 निर्णय दिनांक 19.10.68 में तहसीलदार धारा 11 प्रतापगढ द्वारा श्री हरला पिता देवा भील निवासी बडी का खेडा ने मौजा बडी का खेडा की आराजी संख्या 52 रकबा 2बीघा 4 बिस्वा लगान 1.6 पर संवत तक नाजायज कब्जा किया सो कुल लगान की पेनल्टी 37.10 व पट्टा फीस 5रूपये कुल रूपये 42.10वसूल किये जावे और संवत 2027 से कब्जा हटाया जावे। खातेदारी हक से इन्द्राज की जावें। भूमि का विवरण नीचे दर्ज है। तामील की जाकर बाद तस्दीक इन्सपेक्टर तामीली रिपोर्ट अन्दर मियाद एक माह में पेश करें। भूमि जो खातेदारी हक से दर्ज होगी भूमि जिसका कब्जा हटाया जावें। खसरा नं0 52मी रकबा 2बीघा 4बिस्वा लगान 1 रूप्यै इस खत का अवलोकन किये जाने पर पाया जाता है कि हरला पिता देवा भील को आराजी संख्या 52 मी. रकबा 2बीघा 4 बिस्वा भूमि को खाते में दर्ज किये जाने का आदेश दिया है । उक्त आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 27 खोला जाकर बिलानाम आराजी संख्या 52 रकबा 29बीघा 1 बिस्वा में से 2बीघा 4 बिस्वा भूमि को हरला पिता देवा भील सा.देह के नाम पर दर्ज कर खातेदार दर्ज किया गया है। प्रदर्श–8 नकल जमाबंदी संवत 2015 से 18में खोले गये नामान्तरण संख्या 27की प्रविष्ठी की गई है। प्रदर्श–9 नकल खसरा गिरदावरी मौजा बडी का खेडा संवत 2029 से 32 में आराजी संख्या 52/1 के रकबा 2बीघा 4 बिस्वा भूमि में हरला पिता देवा भील का नाम अंकित है तथा भूमि बीड अंकित की है।

प्रदर्श–10 नकल भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी सव 2028 से 36 तक की पेश की है जिसमें सिवायचक आराजी संख्या का विवरण अंकित है। प्रदर्श–11 नकल भू–प्रबंध सेटलमेन्ट विभाग की है जिसमें गत नम्बरान के नये नम्बरान व रकबा का अंकन है जो पृष्ट 1 से लगायत 5 तक प्रस्तुत किये गये है जिनमें गत आराजी संख्या 52 के नवीन आराजी संख्या 65, 66, 67, 68,69, 70 बना होना पाया गया है। प्रदर्श–12 नकल भू–प्रबन्ध विभाग की खतौनी संवत 2027 में हरला खुमा पितादेवा भील सा.देह के नाम पर खातेदारी में दर्ज आराजी संख्या 55, 56, 57,58, 59, 60, 61, 62, 71,72 कीता–10 कुल रकबा 13बीघा 10बिस्वा भूमि दर्ज होना पाया गया है। प्रदर्श–13 जो कि एक आदेश है जिसमें मिसल नम्बर 780 सन 78 में दिनांक 18.7.78 को श्री गोपी पिता हीरा भील निवासी बडी का खेडा की आराजी संख्या 64 रकबा 10बिस्वा, आराजी संख्या 65 रकबा 1बीघा 1 बिसवा एवं आराजी संख्या 70 रकबा 1बीघा 15 बिस्वा कुल रकबा 3बीघा 6बिस्वा भूमि लगानी 2.31 राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के अन्तर्गत एलाट की गई है। इस आदेश की पालना में नामान्तरण संख्या 20 खोला जाकर गोपी पिता हीरा भील के नाम पर उक्त आवंटित भूमि का इन्द्राज करते हुए गैरखातेदारी हक से दर्ज किया गया है यह नामान्तरण की नकल प्रदर्श–14 है। उपरौक्त आवंटित भूमि का अंकन जमाबंदी मौजा बडी का खेडा की जमाबंदी में किया गया है जो कि प्रदर्श–15 है।

नकल जमाबंदी मौजा बडी का खेडा सम्वत 2070 से 73 जो कि प्रदर्श–16 है में दर्ज आराजी संख्या 65,70 कीता– 2 रकबा 0.4540 हैक्टर भूमि का खातेदार गोपी पिता हीरा भील सा. देह खातेदार दर्ज किया हुआ है तथा प्रदर्श– 17 नकल जमाबंदी मौजा बडी का खेडा सम्वत 2070 से 73 में आराजी संख्या 64 रकबा 0.0810 हैक्टर भूमि का श्री गोपी पिता हीरा भील सा.देह को गैरखातेदार दर्ज किया हुआ है। इन सभी दस्तावेज के गहन अवलोन किये जाने पर मामला स्पष्ट होता है कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात जिसके भू–प्रबन्ध से पूर्व के आराजी संख्या 52 वाके मौजा बडी का खेडा के थे उसमें से 2बीघा 4बिस्वा भूमि वादी के पितामह हरला पिता देवा भील को नाजायज कब्जा होने से खातेदारी में दर्ज की गई थी,लेकिन नियमित की गई भूमि पर लगातार कब्जा काश्त हरला पिता देवा भील का रहा या नहीं रहा यह तथ्य इस वादपत्र में स्पष्ट नहीं किये गये है, क्यो कि गत आराजी संख्या 52 की नवीन आराजी संख्या 64, 65 व 70 बने होना प्रस्तुत रिकोर्ड से सिद्ध है जिनमें से नवीन आराजी संख्या 64, 65 व 70 मे से ही प्रतिवादी गोपी पिता हीरा भील का भूमि का पुनः आवंटन किया गया जिससे भूमि उनके नाम पर जमाबंदी में दर्ज होकर खातेदारी हक से दर्ज की गई है। यहॉ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि यदि पूर्व में भूमि जब आवंटन वादी के पितामह हरला को कर दी गई थी तो पुनः उसी भूमि के नवीन आराजी नम्बरान का पुनः आवंटन किस प्रकार किया गया, यानि भूमि पर कब्जा काश्त न होने से भूमि बिलानाम कर दी गई तथा बिलानाम भूमि का ही आवंटन किया गया है। वादी द्वारा इस वादपत्र में

(उपखण्ड अधिकारी)

तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है कि वर्णित कृषि भू मि बिलानाम किस प्रकार से किसके द्वारा की गई। वर्तमान में गोपी पिता हीरा भील आराजी संख्या 65 व 70 के खातेदार दर्ज थे जिन्होने अपने खातेदारी की कृषि आराजी संख्या 65 रकबा 0.1710 हैक्टर एवं आराजी संख्या 70 रकबा 0.2830 हैक्टर भूमि को पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा श्री श्यामलाल पिता शंकरलाल जी भील को विक्रय कर दिया है। जो पंजीकृत विक्रय विलेख प्रदर्श– 18 है। हमारे द्वारा वादपत्र का गहन अवलोकन किया गया यह वादपत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.8.2018 को प्रस्तुत होकर दर्ज किया गया है। जबकि वर्णित कृषिभूमि आराजी जिसके नवीन आराजी संख्या 65 व 70 का पंजीकृत विक्रय प्रतिवादी द्वारा दिनांक 30.07.2018 को ही कर दिया गया था। यानि एक माह पश्चात यह वाद पत्र पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित होने पर न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। इस सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र आदेश 14 नियम 2 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया था किन्तु वाद पत्र में सभी दस्तावेज एवं सभी पक्षो को सुने जाने एवं गहन अवलोकन किये जाने के पश्चात ही इस पर विचार जाना हमने उचित समझा तथा इस तथ्य को अंतिम निस्तारण में निस्तारित किया जाने का उल्लेख भी आदेश में दिया था। इस प्रकार यह सिद्ध है कि पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित किये जाने के पश्चात ही यह वादपत्र इस न्यायालय में लाया गया। हमारी विनम्र राय से दौराने वाद यदि किसी प्रकार कोई पंजीकृत विक्रय हो जाता है तो वह वाद के मुकाबले शुन्य माना जाता है लेकिन यहॉ पर विक्रय वादपत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही किया गया था, जिस पंजीकृत विक्रय विलेख का निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होता है इस न्यायालय को अधिकार नहीं है। पत्रावली में ओर अन्य प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी मौजा बडी का खेडा जो कि प्रदर्श– 19 है तथा नकल खसरा गिरदावरी प्रदर्श– 20, प्रदर्श– 21,प्रदर्श–22 व प्रदर्श– 23 का भी हमारे द्वारा अवलोकन किया गया। प्रकरण में वर्णित भूमि बिलानाम किस प्रकार से हुई यह तथ्य स्पष्ट नहीं किया गया है तथा वादपत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही वर्णित कृषि भूमि का पंजीकृत विक्रय विलेख का निरस्त कराये बिना ही इस न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया है जिसे सुने जाने का अधिकार कानूनन इस 'न्यायालय को नहीं है। इस प्रकार वादी मौजा बडी का खेडा की आराजी संख्या 64,6570 रकबा क्रमशः 0.0810, 0.1710, 0.2830 हैक्टर भूमि को अपने खातेदारी मे दर्ज करा पाने के अधिकारी नहीं पाये जाते है। ना ही प्रतिवादी खातेदार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के वादी अधिकारी है। इस प्रकार सभी दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार वादी तनकी नं0 1 को सिद्ध करा पाने में पूर्णतया विफल रहे है। अतः तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है।

2– <u>तनकी नम्बर 2 का निर्णय</u> ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी का है। इस दावा पत्रावली में प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी न होने से व प्रतिवादी के उपस्थित न आने से उनके विरूद्ध मामला एक तरफा का किया गया है। किन्तु इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज के अवलोकन के आधार पर तनकी नम्बर 1 का निर्णय किया गया है, जिसमें वर्णित कृषि आराजी के पूर्व में हुए पंजीकृत विक्रय विलेख को निरस्त कराये बिना ही दावा वादी द्वारा प्रस्तुत किया जाने से वादी का वाद सिद्ध करा पाने में वादी विफल रहे है जिससे यह तनकी स्वतः ही बहक प्रतिवादी निर्णित होती है। इस प्रकार तनकी नम्बर 2 बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

इस प्रकार पत्रावली में कायम की गई तनकीया दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी के विरूद्ध निर्णित हुई है। जिससे वादी का वादपत्र खारिज किया जाने योग्य नहीं पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिद्ध नहीं होने से वादी का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं जिला चितौडगढ़

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस

दावा संख्या :– 88/2018

1– मांगीलाल पिता हरला जाति भील के बजाय ::–
1/1–कल्लु भील पिता स्व. मांगीलाल भील निवासी बडी का खेडा तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1. गोपी पिता हीरा जाति भील निवासी बडी का खेडा तह0 बेगूँ
2. श्यामलाल पिता शंकरलाल जाति भील निवासी ओछडी तह0 चितौडगढ़
3. जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ प्रतिनिधि राजस्थान सरकार
4. तहसीलदार साहब बेगूँ भूमिधारी तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री इफ्तेखार अजमेरी की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से श्री .....की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88–188 आर. टी.एक्ट में आज दिनांक 30.04.2025 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राज0 काश्त0 अधि0 का खारिज किया जाता है। 88–188 आर.टी.एक्ट का खारिज किया जाकर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिद्ध नहीं होने से वादी का वादपत्र एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 30.04.2025 को तैयार की जाकर मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ